

## न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास - श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 38/2017

अपीलान्त

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

कंवराराम पुत्र झूमरराम जाति जाट  
निवासी खुडखुडाकलां तहसील मुण्डवा  
जिला नागौर।

1तहसीलदार, मुण्डवा।  
2हल्का पटवारी कडलू।

उपस्थिति :-

1. श्री कैलाश गालवा अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 05.02.18

{1}-मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 67/2017 सरकार बनाम कंवराराम में निर्णय दिनांक 15.02.17 के तहत मौजा खुडखुडाकलां के खसरा नं. 353 रकबा 0.10 बीघा गै.मु. औरण भूमि से बेदखली एवं शास्ति के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 08.03.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्त की अपील दिनांक 10.03.2017 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांत ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि -

{2}(I)-अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.17 पूर्णतया अवैध विधिविरुद्ध एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये एकपक्षीय रूप से पारित किया गया होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)-अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांत को जवाब पेश करने हेतु एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बगैर एकपक्षीय रूप से निर्णय जैर अपील पारित कर दिया। इस प्रकार निर्णय जैर अपील नैसर्गिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया होने से निरस्तनीय है।


{2}(III)-अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 15.02.17 को नियत की हुई थी एवं अपीलांत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करना चाहता था एवं इस हेतु अवसर भी मांगा गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय/आदेश आनन-फानन व उतावलेपन से व बिना सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बगैर पारित किया गया है। जो निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(IV)-अपीलांत का उपरोक्त खसरा नं. 353 रकबा 0.10 बीघा किस्म ओरण की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। इसके बावजूद भी पटवारी हल्का कडलू की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलांत को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये बगैर व पटवारी हल्का कडलू से जिरह का मौका दिये बगैर व अपीलांत द्वारा खसरा नं. 353 रकबा 0.10 बीघा किस्म ओरण की भूमि पर से स्वतः अतिक्रमण हटाने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का कडलू की रिपोर्ट पर निर्णय जैर अपील पारित कर दिया। जो निरस्तनीय है।

{2}(V)-पूर्व में हुए बेदखली के निर्णय की प्रति पत्रावली में पेश किये बगैर ही पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत के विरुद्ध निर्णय पारित किया है। जो निर्णय विधि विरुद्ध व न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(VI)-अपीलांत के विरुद्ध मौजा खुडखुडाकलां के खसरा नं. 353 रकबा 0.10 बीघा किस्म ओरण की भूमि पर काश्त पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का कडलू को आधार मानकर निर्णय पारित किया जबकि इससे पूर्व ही अपीलांत ने उपरोक्त भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी अपीलांत कब्जा हटाने के संबंध में पर्याप्त सबूत प्रस्तुत करना चाहता था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस हेतु पर्याप्त अवसर दिये बगैर ही जैर अपील निर्णय पारित कर दिया। जो



  
अपर कलक्टर, नागौर

निरस्तनीय है तथा वकील अपीलान्ट द्वारा यह भी बताया गया कि अपीलान्ट ने आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा लिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने पत्र क्रमांक 06 दिनांक 15.01.2018 के द्वारा भौतिक रूप से कब्जा हटा लिये जाने की पुष्टि भी कर दी है। इसलिये सिविल कारावास की सजा माफ की जानी चाहिये।

[3]-राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलान्ट द्वारा खुडखुडाकलां में स्थित गै.मु. ओरण भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। इससे पहले प्रकरण सं. 377/15 में बेदखली कार्यवाही दिनांक 07.01.16 को हुई है। जिसको पटवारी के बयानों में साबित भी करवाया गया है। इस प्रकार अतिक्रमण की पुनरावृत्ति होने पर ही सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित किया गया है। जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

[4]-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके खुडखुडाकलां के खसरा नंबर 353 रकबा 0.10 बीघा गै.मु. ओरण भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है तथा आराजी भूमि राजकीय भूमि होना रेकॉर्ड से साबित है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट का उपस्थित होना रेकॉर्ड से साबित है। इससे पहले प्रकरण सं. 377/15 में दिनांक 07.01.16 को भौतिक रूप से बेदखली कार्यवाही भी किया जाना फर्द बेदखली व पटवारी के बयान से साबित है। मगर दौराने अपील अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका सत्यापन करवाये जाने पर तहसीलदार द्वारा भी भौतिक रूप से अतिक्रमण हटा लिये जाने की पुष्टि की गई है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में सजा के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाना उचित प्रतीत होता है तथा अब आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा भी लिया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील के तहत बेदखली व जुर्माना पर हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परंतु सजा के बिन्दु नरम रूख अपनाया जाना उचित है।

[5]- उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील के तहत बेदखली व जुर्माना का आदेश यथावत कायम रखा जाता है। सिविल कारावास की सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्ट ने आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा लिया तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के संबंध में इस आदेश जारी होने के 15 दिवस में अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा तथा अधीनस्थ न्यायालय स्वयं मौका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि अपीलान्ट का भौतिक रूप से अतिक्रमण है अथवा नहीं। यदि भौतिक रूप से अतिक्रमण पाया जाता है तो सिविल कारावास की सजा यथावत कायम रहेगी।

[6]-निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अशोक कुमार)  
अपर कलक्टर, नागौर